रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032025-261916
CG-DL-E-25032025-261916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/ फाल्गुन 30, 1946
No. 196] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

## भारतीय उपचर्या परिषद्

## प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

**फा.सं. 18–535/2000–आईएनसी**:–समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :–

जबकि, **विजय स्कूल ऑफ नर्सिंग, दुर्गापुरम, रोकल्लापलेम, विजयवाड़ा, जिला कृष्णा–520003 (आंध्र प्रदेश)** आंध्र प्रदेश राज्य सरकार तथा आंध्र प्रदेश राज्य उपचर्या परिषद् द्वारा **जीएनएम** पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

हालांकि, भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम ("अधिनियम") की धारा 13(1) के अनुसार, भारतीय उपचर्या परिषद् ("परिषद्") को राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान का निरीक्षण करने का अधिकार है। लेकिन, जब परिषद् द्वारा नियुक्त निरीक्षक कॉलेज पहुँचे, तो उन्हें वैधानिक निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई।

हालांकि, कॉलेज को नोटिस संख्या 18–535/2000–आईएनसी (49259) दिनांक 11.01.2024 जारी कर निरीक्षण से इनकार करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें जवाब देने के लिए कॉलेज को 15 दिन का समय दिया गया था। लेकिन, कॉलेज उक्त कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब/टिप्पणी भेजने में असफल रहा है। तत्पश्चात, अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों तहत प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को एक नोटिस संख्या 18—535/2000—आईएनसी (49259) दिनांक 03.05.2024 को जारी किया गया था, जिसमें उनसे कॉलेज द्वारा परिषद को वैधानिक निरीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार करने के मुद्दे पर उनकी टिप्पणी/राय मांगी गई थी। लेकिन, परिषद को कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। किसी भी कॉलेज द्वारा वैधानिक निरीक्षण से इनकार करने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि ऐसा संस्थान परिषद् द्वारा निर्धारित विनियमों और पाठ्यक्रम का पालन नहीं करता है तथा नर्सिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त नहीं है।

अतः, अधिनियम की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 26.10.2024 से **विजय स्कूल ऑफ नर्सिंग, दुर्गापुरम, रोकल्लापलेम, विजयवाड़ा, जिला**

**कृष्णा—520003 (आंध्र प्रदेश)** से **जीएनएम** मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश राज्य नर्सिंग परिषद के आदेशों के अध्यधीन केवल **आंध्र प्रदेश राज्य** में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1057/2024-25]

**INDIAN NURSING COUNCIL**

**WITHDRAWAL ORDER**

New Delhi, the 10th March, 2025

**F.No. 18-535/2000-INC:—**In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, Government of Andhra Pradesh and Andhra Pradesh State nursing Council had granted recognition to **Vijay School of Nursing, Durgapuram, Rokallapalem, Viajyawada, Distt. Krishna - 520003 Andhra Pradesh** ("College") for running **GNM** course.

Whereas, in terms of Section 13 (1) of the Indian Nursing Council Act ("Act"), the Indian Nursing Council ("Council") has the power to inspect any Institution recognised as a training institution by State authorities. However, when the inspectors appointed by the Council reached the College, they were not allowed to carry out the statutory inspections.

Whereas, notice no. **18-535/2000-INC (49259)** dated **11.01.2024** was issued to the College seeking their explanation for refusal of inspection. That 15 days were given to the College to respond. However, the College has failed to send any reply/ comments to the said show cause notice. Further, in terms of the provisions of Section 14 of the Act, a notice no. **18-535/2000-INC (56281)** dated **03.05.2024** was issued to the Principal Secretary, Health and family welfare department (state government of Andhra Pradesh) asking them for their remarks/ comments on the issue of refusal by the College to allow the Council to conduct statutory inspection. However, no comments were received by the Council.

Whereas, the Executive Committee of the Council had considered the aforesaid matter in its entirety. In cases of refusal of statutory inspection by any college, it shall be assumed that such institution does not follow the regulations and syllabus prescribed by the Council and is not suitable to grant training in nursing field.

Hence, therefore, the Council in exercise of its power conferred under Section 14 (3)-(b) of the Act declares that with effect from 26.10.2024, any person obtaining a qualification of GNM from Vijay school of Nursing situated at Durgapuram, Rokallapalem, Viajyawada, Distt. Krishna - 520003 Andhra Pradesh shall be entitled to be registered only in the state of Andhra Pradesh subject to any further orders of the State government of the Andhra Pradesh and Andhra Pradesh state Nursing council.

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./1057/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.25 08:21:26 +05'30'